कार्यालय आदर्श नगर पंचायत निचलौल जनपद – महराजगंज

पत्रांक /न0पं0नि0/ 2019–20 दिनांक– 23-01-2020

अल्पकालीन ई– निविदा सूचना

पंजीकृत ठेकेदारो को सूचित किया जाता है कि 14वां वित्त आयोग तथा स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के प्राप्त धनराशि से निर्माण कार्य कराने हेतु (टेक्निकल एंव फाईनेन्शियल) निविदा निम्नलिखित विवरण के अनुसार www.etender.up.nic.in आनलाईन के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा को बेवसाईट www.etender.up.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा शुल्क पूर्वांचल बैक निचलौल में खुले खाता सं0– **75041443404** आई.एफ.एस.सी.कोड**SBIN0RRPUGB** में जमा करके प्राप्ति रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा। ई–निविदाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय नगर पंचायत निचलौल, से कार्यालय समय व दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

1	बेवसाईट पर ई– निविदा प्रकाशन की तिथि/समय	28.01.2020	(पूर्वाहन 10.00 बजे)
2	ई–निविदा डाउनलोड की प्रारम्भ तिथि/समय	28.01.2020	(अपराहन 5.00 बजे).
3	ई– निविदा अपलोड की प्रारम्भ की तिथि/समय	28.01.2020	(अपराहन 5.00 बजे)
4	ई– निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	05.02.2020	(अपराहन 4.00 बजे)
5	ई– निविदा खोली जाने की तिथि/समय	06.02.2020	(अपराहन 12.00 बजे)

क0 सं0	कार्य स्थल का नाम	अनुमानित लागत	जमानत धनराशि 10%		निविदा मूल्य (निविदा मूल्य+स्टेशनरी चार्ज+जी.एस.टी.)	निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि
			ई निविदा प्रपत्र के साथ 2%	ई निविदा स्वीकृति के पश्चात 8%		
1	2	3	4	5	6	7
(क) 14वां वित्त आयोग–						
1	वार्ड नं0 07, कोर्ट मु0 में सिसवा रोड डा0 अवधेश दूबे के घर से सिनेमा रोड़ तक अवशेष आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	3184000.00	63680.00	254720.00	1600+500+378= 2478.00	एक माह
2	वार्ड नं0 12, कृष्णानगर में रामचन्दर लेखपाल के घर से धनश्याम लाल लेखपाल के घर तक इण्टरलाकिगं/नाली निमार्ण कार्य।	800000.00	16000.00	64000.00	400+500+162= 1062.00	एक माह

E-Tendring

(ख) स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)–						
1	नगर पंचायत निचलौल वार्ड नं0–04, मिया मोहल्ला में ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन (डंम्पिग ग्राउंड) में मैटरियल रिकवरी फैसलिटी (MRF) सेन्टर का निर्माण कार्य। गाटा सं0–479, रकवा–0. 4010 हे0।	3367000.00	67340. 00	269360.00	1700+500+396 = 2596.00	एक माह

निर्माण कार्य हेतु नियम व भार्ते

1– निर्माण कार्य हेतु जमानत धनराशि कुल आगणन धनराशि का 10% देना होगा।ई–निविदा के साथ 2% व ई–निविदा स्वीकृति के पश्चात 8%एफ0 डी0आर0, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र या नगद जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत निचलौल के पक्ष में बन्धक के रूप में जमा करना होगा।

2– पंजीकृत ठेकेदार/निविदादाता को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वंय से हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण–पत्र व हैसियत प्रमाण–पत्र की छाया प्रति ई–निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

3– निर्माण कार्य स्वीकृत आगणन /मानक के अनुसार करना होगा।

4– निविदादाताओं को नियमानुसार स्वय के व्यय पर अनुबन्ध पत्र करना होगा। विना अनुबन्ध किये कार्यादेश जारी नही किया जायेगा।

5– अवर अभियन्ता नगर पंचायत निचलौल के देख रेख में निर्माण कार्य करना होगा।

6– विना कारण बताये एक या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी नगर पंचायत निचलौल में निहित होगा।

7– बिना अनुमति के ठेकेदार द्वारा आगणन से अधिक कार्य नही कराना होगा, यदि अधिक कार्य करता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। नगर पंचायत निचलौल की कोई जिम्मेदारी नही होगी। ठेकेदार को उसका भुगतान नहीं किया जायेगा।

8– शासनादेश के कम में किये जाने वाला निर्माण,पूर्ण होने के पश्चात पॉच वर्ष तक अनुरक्षण/रख रखाव, कान्ट्रैक्टर/फर्म द्वारा किया जायेगा साथ ही 5 प्रतिशत की धनराशि परफारमेंस गारंटी के रुप में 05 वर्ष के लिए रोकने के उपरान्त सड़क/निर्माण के समुचित रख–रखाव होने की दशा में ही किया जायेगा।

9– कार्य में प्रयुक्त इण्टरलाकिंग ईटो एंव सामाग्री ईटो के नमूने का परीक्षण कराकर ही उसका प्रयोग ि कया जायेगा जाये।

10–ठेकेदार को स्वंय शपथ पत्र जो 100.00 रूपये की स्टाम्प पेपर पर नोटरी, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। जिस पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो संलग्न किया जायेगा। (शपथ पत्र हेतु प्रारूप कार्यालय नगर पंचायत निचलौल से प्राप्त किये जा सकते है जो 14 विन्दु पर है)

11–ई–निविदा प्राप्त करने की तिथि से यदि अवकाश हुआ तो अगले कार्य दिवस में निविदा प्राप्त व खोली जायेगी।

12–निर्माण कार्य के लिए किसी भी नियमो/शर्तो में संशोधन कर सक्त/शिथिल करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

13–उक्त कार्यो में यदि अधिक विल प्राप्त होता है तो उसका भुगतान राज्य वित्त आयोग के प्राप्त धनराशि से किया जायेगा।

14–ठेकेदार द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्य के प्रत्येक कार्य का श्रम प्रवर्तन अधिकारी महराजगंज के कार्यालय में कार्य का पंजीयन के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

15–सशर्त निविदाए स्वीकर नही की जायेगी।

16–मानक के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य न करने पर भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत यह कृत्य अपराध माना जायेगा तथा ठेकेदार/फर्म के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

17–स्वीकृत कार्यस्थल पर ठेकेदार द्वारा बोर्ड लगाया जायेगा, जिसपर कार्य का नाम प्रारम्भ एंव समाप्ति की तिथि आदि उल्लेख किया जायेगा।

18–फर्म/ठेकेदार जिनको पूर्व में जारी किया गया है किन्तु उनके द्वारा अब तक कार्य पूर्ण नही किया गया है तो उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

19–किसी भी फर्म/ठेकेदार या उसके सहयोगी द्वारा विविदा कार्य में व्यवधान, अभद्रता दुव्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को काली सूची में करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाना में अंकित करायी जायेगी।

20–कार्यादेश में दिये गये समय के सापेक्ष कार्य को पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य पूर्ण न करने होने दशा में जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। कार्य प्रारम्भ न होने की दशा में कार्यादेश निरस्त किया जा सकता है।

21–स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) दिशा/निर्देश के अन्तर्गत कार्य करना अनिर्वाय होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत निचलौल
महराजगंज

अध्यक्ष
नगर पंचायत निचलौल
महराजगंज

पत्रांक 708(4)/न0पं0नि0/2019–20/तद्‌दिनांकित्

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय जनपद–महराजगंज
2. प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय– महराजगंज।
3. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग महराजगंज।
4. प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. महराजगंज को इस आश्य से प्रेषित कि इस विज्ञापन को वेवसाइड www. Maharajganaj. Nic.inपर डालने की कष्ट करें।
5. अवर अभियन्ता (नामित) नगर पंचायत निचलौल, महराजगंज।
6. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत निचलौल
महराजगंज

अध्यक्ष
नगर पंचायत निचलौल
महराजगंज